Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 6, May-2019, ISSN 2230-7540

नारी यौन शोषण के विभिन्न स्वरुप एवं उनका महिलाओं पर प्रभाव

Pradeep Kumar Mishra[1]* Piyush Tyagi[2]

[1,2] Department of Law, Dr. Bheem Rao Ambedkar University, Agra, U.P. India

सारांश – ***भारत एवं विश्व के अन्य देशों में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न जैसे यौन अपराध, बलात्कार, छेडखानी, अपहरण, हत्या, दहेज के नाम पर सताया जाना, दहेज हत्या, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना व घरेलू अत्याचार आदि पर देश एवं विदेश में सामाजिक एवं विधिक शोधकर्ताओं, लेखकों, विद्वानों, शोध-संस्थाओं द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं। इस संदर्भ में शोधकर्ता को जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध हुई है उसकी समीक्षा इस प्रकार है- महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं विधिशास्त्रियों ने समय-समय पर उसके विविध पहलुओं पर शोध-कार्य किया और इससे सम्बन्धित अनेक नए तथ्यों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इस शोध पत्र में हम यौन शोषण के विभिन्न स्वरुप एवं उनका महिलाओं पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। प्रस्तवित शोध पत्र सामाजिक-विधिक अध्ययन है।***

----------X----------

1. प्रस्तावना

शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन ऐसी घटनाएँ न हो, हर रोज महिलाओं को थप्पड़ों, लातों से पिटाई, अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके जीवन साथी या उसके परिवार के सदस्य उनकी हत्या तक कर देते हैं। इन सबके बावजूद हमें इस प्रकार की हिंसा के बारे में अधिक पता नहीं चलता है क्योंकि शोषित व प्रताड़ित महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से घबराती, डरती व झिझकती हैं। अनेक डॉक्टर्स, नर्सें व स्वास्थ्य कर्मचारी हिंसा को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानने में चूक जाते हैं। यहाँ यह समाझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह हिंसा क्यों होती है, इसके लिए आप क्या कर सकती हैं तथा अपने समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार कार्य कर सकती हैं।

यह अध्याय महिलाओं पर घरों में होने वाली हिंसा से संबधित है। भारत में महिला के स्वरूप की अवधारणा कतिपय पारम्परिक मान्यताओं पर आधारित है। एक ओर महिला को पूज्य बताया गया है, जैसा कि मनु ने कहा कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं- "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता", दूसरी ओर पारम्परिक रूप से पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को सदैव नीचे स्तर पर रखा गया है यह विरोधाभास दीर्घकाल से भारतीय सामाजिक संरचना में विद्यमान रहा है। विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं के विषय में सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन से इस विरोधाभास की व्यापकता का अनुमान लगाना समुचित है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय में भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्तर की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति व विभिन्न कालखण्डों में हुए परिवर्तन पर विचार करना भी समुचित प्रतीत हुआ। सामाजिक संरचना पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरूष से निम्न स्तर पर ही माना जाता रहा है। भारतीय महिला के विषय में विचार करते समय भी कालखण्डों में उसके वैभव एवं समाज के विन्यास एवं संरचना पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तनों ने महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में भी निरन्तर बदलाव किया है। सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव महिलाओं पर भी स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में महिला के अनेक रूप सामने आते हैं यथा किसी कालखण्ड में उसके वैभव एवं गौरव की गाथाएं हैं तो अन्य में उसकी अबला एवं पराधीन दासी रूप को दर्शाया गया है। भारतीय महिला की छवि अनेक रूप में उभारनें का कार्य कवियों, साहित्यकारों, विधिशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों,

www.ignited.in

शास्त्रवेत्ताओं, नीतिशास्त्रियों आदि सभी ने किया है जहाँ तुलसीदास जी ने नारी को ताड़ना का अधिकारी बताया है ‘‘

2. महिलाओं के साथ यौन हिंसा के कारण

यहां कुछ ऐसे कारणों की चर्चा की गई है जो यह वर्णित करते हैं कि कुछ पुरुष महिलाओं को चोट क्यों पहुंचाते हैं -

1. रिश्तेदार, नातेदार या अन्य पर अत्यधिक विश्वास करना
2. अधिकांश मामलों में नारी का चुप रहना
3. युवकों का लक्ष्यहीन / हृदयहीन होना।
4. अभिभावकों की नजर से बाहर रहने के कारण युवकों में सम्बन्धो के ज्ञान का अभाव।
5. सामाजिक लज्जा, बदनामी का भय एवं शादी आदि अवश्य होने के कारण कभी-कभी परिवार के लोगों की भी चुप्पी (कन्या दान की अनिवार्यता)।
6. पुत्राधिकार अथवा पुरूष प्रधान भारतीय समाज के कारण नारियों से हर स्तर पर भेद-भाव।
7. परम्परागत धर्म, जाति प्रथा एवं अपनी ही पंचायत व्यवस्था।
8. पुरूषों का रूढ़िवादी नजरिया, मानसिकता।
9. पुरूष के मुकाबले शरीरिक रूप से कमजोर होना।
10. आर्थिक विषमता - गरीबी।
11. जिन व्यक्तियों को, चाहे किसी भी स्तर के हों, कानूनों के सम्बन्ध में ज्ञान होता है, अथवा हो जाता है कि ऐसा अपराध करने से बच सकते है। उनके द्वारा धटनाओं का अंजाम।
12. पुरूष को परमेश्वर समझने की परम्परायें।

वैधानिक रूप से महिला (बालिग) - पुरुष आपसी सहमति से बिना विवाह किये भी यौन सम्बन्ध रख सकते हैं। वैधानिक रूप से भले ही ऐसे सम्बन्ध गैर-कानूनी या आपत्तिजनक न हों, लेकिन सामाजिक रूप से अनैतिक ही माने जाते हैं, यौन सम्बन्धों की सामाजिक और वैधानिक मान्यता के लिए विधिवत विवाह एक अनिवार्य विकल्प बना हुआ है। वैवाहिक संस्था में स्त्री की स्थिति ‘‘घरेलू गुलाम’’ से बेहतर नहीं है। परिवार में पुरुष वर्चस्व स्वामित्व और नियंत्रण अभी भी कायम है। चूँकि विवाह संस्था का और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पुरुष यह मानकर चलते हैं कि उनका नाम, वंश, परिवार, व्यापार, कृषि, जमीन, जायदाद और पूँजी के असली उत्तराधिकारी बेटे ही होंगे क्योंकि बेटियाँ तो ’’पराई अमानत’’ है (जब कि अब महिलाओं को भी पैतृक सम्पत्ति में हिस्सेदारी दे दी गयी है) और ‘‘कन्यादान’’ के बाद ‘‘दहेज’’ लेकर ससुराल चली जायेंगी। पहले जन्मते ही गला घोंट देते थे अब लिंग परीक्षण कराकर गर्भपात करा देते हैं यह सब उस गर्भ रूपी कन्या के साथ-साथ एक माँ जो महिला है के शरीर, स्वास्थ्य, मानसिक परिस्थितियों के रूप में एक हिंसा ही है जिसे हम एक घर की चारदीवारी के अन्दर रहने वाली बहू/माँ के घरेलू हिंसात्मक शोषण के रूप में चिन्हित कर सकते हैं।

प्रायः पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नी को ससुराल वाले सम्पत्ति पर कब्जा बनाये रखने की नियत से तंग, परेशान या उत्पीड़ित करके उसे मायके में रहने के लिए विवश कर देते हैं। विवाह के पश्चात् महिला उत्पीड़न का दिलचस्प पहलू दहेज की माँग व दहेज हत्या है दहेज से सम्बन्धित मामलों में महिला उत्पीड़न व घरेलू हिंसा रोकने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम 1961 बनाया गया कहीं-कहीं तो दहेज उत्पीड़न के बहाने, महिलाओं का बलात् यौन उत्पीड़न किया जाता है।

भारतीय दण्ड संहिता में यौन शोषण से महिलाओं को मुक्ति दिलाने हेतु अनेक धाराओं को समाहित व सन्निहित किया गया है, जिसके द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की गयी है। धारा 354, 376 आदि धाराओं के द्वारा महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्ति प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

इसी क्रम में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु 13 सितम्बर 2005 को भारतीय संसद ने भारतीय गणराज्य के 56वें वर्ष में ‘‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005’’ को पारित किया। यह अधिनियम ऐसी महिलाओं के लिए है जो कुटुम्ब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित हैं। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत है। अधिनियम की धारा 2क के अनुसार ‘‘व्यथित व्यक्ति’’ से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। धारा-3 घरेलू हिंसा को परिभाषित करती है।

www.ignited.in

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक जटिल समस्या है क्योंकि भारत में महिलायें अद्‌वितीय संख्या में श्रम कार्य कर रही हैं। कार्य करने का अधिकार (Right to Work) के अन्तर्गत उन्हें कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। महिलाओं को कार्य स्थल पर अनचाहे यौन टीका-टिप्पणी तथा अनचाहे स्पर्श से भी छुटकारे का भी अधिकार प्राप्त है।

नारी यौन शोषण का अपराध अपने आप में इस प्रकार का अपराध है जिसके होने (घटने) की संख्या विश्व में अन्य अपराधों के घटने की तुलना में बहुत अधिक है। इस अपराध के होने (घटने) के लिए न तो किसी स्थान विशेष के होने की आवश्यकता है न ही किसी समय विशेष के होने की आवश्यकता है और इसके लिए न ही किसी उम्र विशेष के होने की आवश्यकता है। और ऐसा भी नही है कि इस रिश्ते का व्यक्ति ऐसा नही कर सकता है। स्त्रियों के विरूद्ध यौन हिंसा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न व बलात्कार के आँकड़े पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि ऐसी सभी दुर्घटनायें आँकड़ों तक पहुँचती ही नहीं हैं फिर भी जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रकार की दुर्घटनायें निरन्तर बढ़ रही हैं। यह मात्र संयोग नहीं है कि जैसे-जैसे अश्लील यौन साहित्य, फिल्म, वीडियो आदि बढ़े हैं वैसे-वैसे यौन अपराध भी बढ़ते गये हैं। वर्तमान में संचार माध्यमों में "सेक्स और हिंसा" का प्रदर्शन, समाज में यौन अपराधों के बढ़ने में उत्प्रेरक का काम कर रहा है। वर्तमान समय में सूचना क्रान्ति यथा इन्टरनेट के कारण भी महिलाओं के यौन-शोषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज आवश्यकता है, शिक्षा व जनजागरूकता की जैसे-जैसे नारी चेतना, शिक्षा, जागरूकता और मुक्ति के स्वर पहले से अधिक मुखर होकर सामने आयेंगे वैसे-वैसे महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

3. न्यायालय द्‌वारा निर्मित कानून

धारा 354 में पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (ए. आई. आर. 1967 सु. को. 63) के वाद में बलात्कार नहीं किया परन्तु उसने छोटी सी बच्ची के साथ घोर अश्लील हरकत की और इस बात को कहा कि बच्ची का शील भंग नही किया माननीय न्यायालय ने कहा कि न ही उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बच्ची का स्त्री होना ही शील भंग होने के लिए पर्याप्त है। उसे इस बात की समझ थी या नही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसका उस बच्ची के शील भंग होने के अपराध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मा. उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश ने अभिर्निधारित किया कि उनके विचार से महिला की लज्जा का सार उसका स्त्री होना है। महिला स्त्री आयु कुछ भी हो सकती, वह जग रही हो सकती है या वह सो रही हो सकती है। उसकी लज्जा हमेशा उसके ' स्त्री देह ' मे रहती है और उसे भंग किया जा सकता है। अपराधी का अपराध करते समय आशय देखा जाता है स्त्री ने क्या प्रतिक्रिया की ये बात महत्वहीन हो जाती है। अगर अपराधी का आशय वह अपराध करने का था तो वह उस अपराध का दोषी होगा, इस मामले में अपराधी को दोषी माना गया और उसको भा. दं. सं. की धारा 354 के अन्तर्गत अपराध की सजा दी गयी।

यहाँ पर अपराधी ये तर्क देकर अपना बचाव करना चाहता था कि जिस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया जाने वाला है उस अपराध की प्रकृति वह बच्ची समझ ही नही पाई अतः उसे दोषमुक्त कर दिया जाए।

रूपन देवल बजाज बनाम के. पी. एस. गिल (ए. आई. आर. 1999 सु. को. 309) - एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्‌वारा दूसरी उच्च पदस्थ महिला अधिकारी के यौन शोषण यानि लज्जा भंग का मामला है। जिसमे उच्च पदस्थ पुरूष अपराधी ने उच्च पदस्थ महिला अधिकारी की कमर के नीचे के हिस्सें मे एक शाम की डिनर पार्टी में थपथपाया था जिससे क्षुब्ध होकर महिला अधिकारी ने अपराधी के विरूद्‌व धारा 354/294 में लज्जा भंग करने के आशय से अपराधिक बल प्रयोग का मुकदमा दर्ज कराया था। मा. उच्चतम न्यायालय ने अपराधी को दोषी मानते हुए कारावास से दण्डित किया।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर 1997 सु. को. 3011 (1997) 6 S.C.C. 241 के मामले में एक महिला जिसका कार्य बाल विवाह पर रोक लगाना था ने एक वर्षीय बच्ची के विवाह को रोकने के लिए कार्य किया, जिसका विरोध करने वालो ने उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में महिला संगठनों द्‌वारा आवाज बुलन्द की गयी। इस मामले में ही मा. उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने के लिए निम्न प्रकार के दिशा निर्देश दिये। जिससे कार्य स्थल पर महिलाओं के शोषण को योन रोका जा सके। मा. उच्चतम न्यायालय के अनुसार - शारीरिक सम्पर्क या छेड़छाड़ करना, यौन सम्बन्धी माँग या आग्रह करना, कामुक संकेतो वाली टिप्पणियाँ करना, अश्लील सामग्री दिखाना, कामुक प्रकृति का काई अन्य अस्वीकार्य शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण करना इसमें सम्मिलित है। मा. उच्चतम न्यायालय ने अभिर्निधारित किया कि कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने की जिम्मेदारी नियोक्ता पर होगी। नियोक्ता को एक नीति बनानी चाहिए जो स्पष्ट रूप से यौन - शोषण को गैर कानूनी

बताये तथा उस नीति को बहुत अच्छी तरह से अधिसूचित, प्रकाशित तथा प्रचारित किया जाना चाहिए।

इन मामलों की जाँचके लिए एक कमेटी का गठन पहले से ही किया जाना चाहिए जिसमें महिला सदस्यों का होना आवश्यक है।

एप्रल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल बनाम ए.के.चोपड़ा (ए. आई. आर. 1999 सु. को 625) - ये मामला कार्यस्थल पर यौन शोषण से सम्बन्धित है। इस मामले में मा. उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यौन शोषण का अपराध मैलिक अधिकारों का उल्लंधन है। संविधान के अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर समानता) तथा अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता) में प्रदान किये गये मौलिक अधिकार का उल्लंधन है।

4. विधायिका द्वारा निर्मित कानून

भारतीय दन्ड संहिता की धारा 354 - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग से सम्बन्धित है इसमें दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा द्वारा प्रतिस्थापित (3 फरवरी, 2013 को प्रवत्त) के द्वारा सजा को 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया जो कि 1 वर्ष से कम नही होगी और जुर्माना भी लगेगा। 354 (क), 354 (ख), 354 (ग), 345(घ) जोड़ी गई। 354 (ग) में दो स्पष्टीकरण भी जोड़े गये।

निर्भया काण्ड ने पूरे भारत की जनता को प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप् 2013 में आपराधिक विधि में संशोधन किये गये। भा. दं. सं. की धारा 375, 376 में अनेक परिवर्तन किये गये हैं दण्ड को अधिक सख्त बनाया गया है। लौंगिक अपराधों से सम्बन्धित धाराओं का सम्बन्ध अगर किसी अन्य अधिनियम की किसी धारा से है। तो उस अधिनियम की उस धारा में भी, संशोधन कर दिया गया है जिससे कि अपराधी उस धारा का सहारा लेकर किसी भी प्रकार से बच न पाये और धारा के अनुरूप उसे सजा दी जा सके। बढ़ते अपराधों का प्रभाव कानून पर इतना पड़ा है कि कानून की धाराओं में अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। मामलों की गम्भीरता को देखते हुएं संशोधन विधेयक पर मा. राष्ट्रपति द्वारा तत्काल अनुमति प्रदान कर दी गयी और उसे 21 अप्रैल 2018 से लागू कर दिया गया।

5. हिंसा के प्रकार

एक पुरुष किसी महिला पर अनके तरीकों से नियंत्रण करने की कोशिश करता है ।मार-पिटाई उनमें से केवल एक तरीका है ।ये सभी तरीके महिला को चोट पहुंचा सकते हैं।

अनेक मामलों में मौखिक शाब्दिक प्रताड़ना थोड़े समय के बाद शारीरिक प्रताड़ना में बदल जाती है इसकी शुरुआत पत्नी द्वारा पर्याप्त दहेज है लाने से शुरू होकर यह एक शाब्दिक प्रताड़ना, फिर हिंसा, शारीरिक हिंसा में बदल जाती है ।उसे त्योहारों, उत्सवों तथा बिमारियों जैसे अवसरों पर अपने मायके जाने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। इस प्रकार का घुटन वाला व्यवहार, शारीरिक पिटाई से भी अधिक दर्दनाक बन जाता है।

जब गाली-गलौच वाला संबंध हिंसक बन जाता है, तो उसे छोड़ना और भी कठिन हो जाता है। जितने लंबे समय तक महिला ऐसे संबंध में रहती है, पुरुष का उस पर उतना ही नियंत्रण बढ़ता जाता है उसका आत्मविश्वास समाप्त होता जाता है। अन्य पुरुषों की तुलना में अधिक हिंसक हो जाएगा।

पुरुष पहली बार तब हिंसात्मक हो जाता है जब उसने एक कन्या को जन्म दिया हो। युवा पत्नियों, विशेष कर गरीब वर्ग की, को अपने पतियों के हाथों ऐसी स्थितियों में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। उसे इस बात पर भी क्रोध आ सकता है कि उसे यह लगे कि वह उससे अधिक, बच्चे पर ध्यान दे रही है या वह यौन संबंधों के लिए मना करती है। इसके अतिरिक्त अनेक दम्पतियों में बच्चे के आगमन से आर्थिक स्थिति खराब होने की चिंता के दबाव भी हो सकते हैं । अशक्तता युक्ता महिलाओं के भी अधिक प्रताड़ित होने की संभावना होती है।

कुछ पुरुष ऐसा भी सोचते हैं कि अशक्त महिला को नियंत्रित करना अधिक आसान होता है क्योंकि वह अपनी रक्षा करने में अक्षम होती है।

6. हिंसा के हानिकारक प्रभाव

हिंसा केवल महिलाओं को ही चोट नहीं पहुँचाती है, यह उनके बच्चों व पूरे समाज को प्रभावित करती है।

महिलाओं में, पुरुष की हिंसा के ये परिणाम हो सकते हैं:

1. आत्महत्या की ओर प्रेरित होने की भावना तथा आत्मसम्मान में कमी।

www.ignited.in

2. मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि चिंता, घबराहट, अवसाद, भोजन व नींद संबंधित समस्याएं ।हिंसा का सामना करने के लिए कोई महिला अपनी सम्पूर्ण पहचान को बदलने का पयत्न करने लगती हैं ।हिंसा से बचने के लिए वह अपने पहले व्यक्तित्व की छाया मात्र रह जाती है तथा अपने उपर लगाए गए झूठे आरोपों को विरोध भी नहीं करती है ।वह अपने छोटी छोटी खुशियों से भी स्वयं को वंचित रखने लगती है, घर व परिवार वालों व मित्रों से संबंध तोड़ने लगती है तथा एकाकीपन व अपराध बोध में शरण लेने लगती है ।उसे नशीली दवाईयों और शराब की आदत पड़ सकती है या वह अनेक पुरुषों से यौन संबंध बना बैठती है।

3. वह गंभीर चोटों व दर्द, हड्डियों के टूटने जलने, कट शरीर पर नीले दागों, सिर दर्द, पेट दर्द व मांसपेशियों में दर्द आदि से पीड़ित हो सकती है जो प्रताड़ना के बाद लंबे समय तक रह सकते हैं।

4. यौन स्वास्थ्य की समस्याएं। गर्भावस्था के दौरान पिटाई से गर्भपात भी हो सकता है। यौन उत्पीडन के कारण वे अवांछित गर्भ, यौन संचारित रोग या एच.आई.वी./एड्स का भी शिकार हो सकती हैं। यौन उत्पीडन के कारण प्रायः यौन संबंधों में अनिच्छा, दर्द व भय उत्पन्न हो सकता है।

5. मृत्यु

7. महिला यौन उत्पीड़न के विभिन्न स्वरुप

1. परिवार के अन्तर्गत बलात्कार (जैसे-कौटुम्बिक व्याभिचार, बाल यौन दुरूपयोग और पति द्वारा बलात्कार) जिसे कानूनी रूप से बलात्कार नहीं माना गया है।

2. अवयस्क, असुरक्षित युवतियों के साथ बलात्कार।

3. युद्ध, साम्प्रदायिक दंगों और राजनीतिक विप्लवों के दौरान सामूहिक बलात्कार।

4. प्राधिकारी के अधीन होने पर यौन शोषण

5. आकस्मिक, अप्रत्याशित बलात्कार।

6. शारीरिक उत्पीड़न

7. मानसिक उत्पीड़न

8. मौखिक उत्पीड़न

9. पारिवारिक अत्याचार और दहेज उत्पीड़न हत्या

10. आर्थिक उत्पीड़न

11. वैश्यावृत्ति अथवा देह व्यापार

12. अश्लील साहित्य और संचार साधनों में महिलाओं का गलत चित्रण/नारी देह का व्यापारिक उपभोग व सांस्कृतिक उत्पीड़न

13. कन्या शिशु हत्या और भ्रूण हत्या

8. महिला यौन उत्पीड़न एवं शारीरिक और आर्थिक प्रभाव

महिलाओं पर जो यौन उत्पीड़न/शोषण/भेदभाव होता है, उसका प्रभाव ने केवल मानसिक रूप से पड़ता है बल्कि इसके साथ-साथ उन पर किये जाने वाले यौन उत्पीड़न का शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है। शारीरिक प्रभावों में हम देख सकते हैं कि विकलांगता/अंगभंग और गंभीर बीमारियां, मृत्यु आदि महिलाओं के ऊपर निरंतर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न का प्रभाव हो सकती हैं। उत्पीड़न का शारीरिक प्रभाव उत्पीड़ित महिला के अन्य सभी क्षेत्रों पर भी पड़ता है। शारीरिक प्रभाव, मानसिक, पारिवारिक सामाजिक सभी रूपों को प्रभावित करता है। जिससे उत्पीड़ित महिला का समाज में सामंजस्य बनाये रखते हुए अपनी भूमिकाओं का सम्पादन करना असंभव सा हो जाता है।

9. निष्कर्ष

आजकल नारी सशक्तीकरण की अवधारणा प्रबल रूप लेती जा रही है इसी का प्रभाव यह है कि न जाने कितने समय से अपने दिल और दिमाग में जो यौन शोषण कभी भी किसी पुरूष द्वारा किसी भी रूप में किया गया है उसका मीटू कैम्पन के द्वारा महिलाओं द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा है इससे इस बात का पता चलता है कि पुरूष द्वारा किये गये यौन शोषण का महिला के दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है इस समय महिलायें एक के बाद एक खुलासे करती चली जा रही हैं इसकी वजह से पुरूष वर्ग जिन्होने ऐसा कुछ भी कर रखा है उनके दिमाग के सभी तारों को जोर से हिला दिया है, समाज में स्तर गिरा दिया है, कई मामलों में तो कानूनी कार्यवाही भी चल पड़ी है इसका प्रभाव केवल पुरूषों

की मानसिकता पर तो पड़ ही रहा है साथ साथ महिलाओं पर भी पड़ा है अपनी बात को कह कर महिलायें न्याय की गुहार लगा रहीं हैं। और आगे भी लगाती रहेंगी। इससे पुरूषों मंे इस बात का भय पैदा होता जा रहा है कि कब की बात कब खुल जायेगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है पुरूष वर्ग को अब ऐसे कृत्यों के बारे में बहुत सहज रहना होगा अगर अपनी गरिमा को बनाये रखना चाहते हैं अन्यथा की स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है। महिला यौन शोषण के दंश को कैसे बर्दाश्त कर पाती है मीटू कैम्पेन से समझा जा सकता है । मीटू कैम्पेन ने पूरे संसार को हिला कर रख दिया है ।

जोसेफ साइन बनाम भारत संघ (27 सितम्बर 2018) धारा 497 (जारकर्म) में पुरूष और स्त्री के अधिकारों की समानता नही थी। महिलायें जागरूक हुइं और उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों की माँग की कि धारा 497 को असंवैधानिक घोषित किया जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 497 विभेद करती है अतः धारा 497 असंवैधानिक है।

एस खुशबू बनाम कनिअम्मल व अन्य JT2010(4)SC478 लिव इन रिलेशनशिप (साथ-साथ रहना) - पुरूष स्त्री को अपनी सम्पत्ति समझता आया है। स्त्री के पुरूष की सम्पत्ति होने की मानसिकता से बचने का यह भी स्त्री के पास एक रास्ता है। स्त्री की जागरूकता और समाज की जागरूकता, विधायिका और न्यायपालिका द्वारा बनाये गये नये कानून स्त्रियों को शोषण से बचाने में समर्थ हैं और स्वागत योग्य है।

भारत में महिला के स्वरूप की अवधारणा कतिपय पारम्परिक मान्यताओं पर आधारित है। एक ओर महिला को पूज्य बताया गया है, जैसा कि मनु ने कहा कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं - "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता", दूसरी ओर पारम्परिक रूप से पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को सदैव नीचे स्तर पर रखा गया हैं। यह विरोधाभास दीर्घकाल से भारतीय सामाजिक संरचना में विद्यमान रहा है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय में भारतीय सामाजिक परिपेक्ष्य में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्तर की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति व विभिन्नकालखण्डों में हुए परिवर्तन पर विचार करना भी समुचित प्रतीत हुआ। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2007 में 12447 बच्चों पर किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक कम से कम 53 फीसदी बच्चों को यौन शोषण का एक या एक से अधिक रूपों का सामना करना पड़ा था। हालांकि भारत में महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राष्ट्रीय स्तर पर काफी उथल-पुथल के बाद बाल बलात्कार के लिए कठोर दंड और मृत्युदंड की शुरुआत की गई है। अन्त में निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता हैं कि यद्यपि महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए फिर भी महिलाओं की पहुँच से दूर है। अतः महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उनका जागरूक होना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आहूजा, राम: (2001),"रिसर्च मेथड्स", रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
2. निर्भया काण्ड 2012 जिसने देश के आपराधिक कानूनों मे सन् 2013 मे साशोधन करा दिया।
3. मिलर, सी. डेल्बर्ट: (2003), "हैंडबुक ऑफ़ रिसर्च डिजाइन एंड सोशल मिजरमेंट", लॉगमैन, न्यूयार्क।
4. भारतीय दण्ड संहिता (दंड विधि संशोधन अधिनियम) 2103 द्वारा संशोधित।
5. डॉ. बैली: "वॉयलैन्स अगेन्स्ट वूमेन" कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
6. एम. एन. अन्सारी: "नारी चेतना और अपराध" पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2009, पृ0स0- 1.
7. डॉ. आशु रानी सचदेवा: "महिला विकास कार्यक्रम", प्रकाशक इनात्री, जयपुर, 2007, पृ0स0 11.
8. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (ए. आई. आर. 1997 सु. को 3011)
9. जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 27 सितम्बर 2018
10. आशा रानी बोहरा: "भारतीय नारी दशा और दिशा" नेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003, पृ0स0 15.
11. एस. खुशबू बनाम कनिअम्मल व अन्य जे टी 2010 (4) एस. सी. 478
12. रूपन देवल बजाज बनाम के. पी. एस. गिल (ए. आई. आर. 1999 सु. को. 309

www.ignited.in

13. आशा रानी बोहरा: ''भारतीय नारी दशा और दिशा'', नेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003, पृ0स0 3.

14. पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (ए. आई. आर. 1967 सु. को. 63)

15. डॉ. राम आहूजा: ''क्राइम अगेन्स्ट वूमेन'' प्रकाशन रावत, जयपुर, 2007 पृ0स0 - 228.

16. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005

Corresponding Author

Pradeep Kumar Mishra*

Department of Law, Dr. Bheem Rao Ambedkar University, Agra, U.P. India

pradeepadvocate10@yahoo.com